classmate
Date
Page

DATE: 18/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: IIIrd (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 09 (SUPREME COURT: JURISDICTION)

LECTURE NO. - 14 (FOURTEEN)

By- OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति —

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 में उल्लेख है कि आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के सम्यक् रूप से अर्हता रखता हो, को भी अल्प-काल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे न्यायाधीश से लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए जरूरी है कि वह मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध के प्रति अपनी सहमति दे। तदर्थ न्यायाधीशों के मामले में ऐसी बाध्यता नहीं है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में होता है तो भी वह तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं माना जाता है। हालाँकि वह न्यायाधीशों को मिलने वाले सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। इन न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते राष्ट्रपति तय करता है। जरूरी नहीं है कि उसे अन्य न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिले।

Scanned with CamScanner

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति हेतु मिले अधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सभी प्रकार की नियुक्तियों का भी अधिकार है। इन पदाधिकारियों की सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उन पर होने वाला व्यय तथा न्यायालय के व्यवस्थापन के अन्य व्यय भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के व्यवस्थापन पर पूर्ण नियंत्रण भी मुख्य न्यायमूर्ति का ही होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि

इसकी कार्यविधि के सम्बन्ध में संविधान द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं—

(i) जिन विषयों का सम्बन्ध संविधान की व्याख्या से हो या जिनके अन्तर्गत संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो या जिनमें विधि के अभिप्राय को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो या जिन विषयों पर विचार का कार्य भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा हो, उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के कम-से-कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।

(ii) सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर किए जायेंगे।

(iii) सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीश अपना अलग निर्णय दे सकता है। वह अन्य किसी प्रकार से बहुमत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकेगा। बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।

—×—×—×—×—

Scanned with CamScanner